

समक्ष न्यायालय श्रीमान माननीय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर

द. 3925-PB/13



अमित अग्रवाल आत्मज रामकिशन अग्रवाल
निवासी आशीर्वाद भवन नारायणगंज होशंगाबाद
तहसील व जिला होशंगाबाद

अपीलार्थी

विरुद्ध

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा उप पंजीयक पंजीयन कार्यालय होशंगाबाद

उत्तरवादी

आवेदन पत्र 152, 153 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक विविध 3925—पीबीआर/13

जिला होशंगाबाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12-2-2015	<p>आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत लिखित तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। यह विविध आवेदन पत्र इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 8-11-2012 के अंतिम पैराग्राफ 5 में उप पंजीयक द्वारा निर्धारित मूल्य मान्य किए जाने का उल्लेख किए जाने से प्रस्तुत किया गया है। आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाए गए हैं :—</p> <p>(1) राजस्व मण्डल, म.प्र. के प्रशासकीय सदस्य द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 8-11-2012 को आदेश पारित कर स्वीकार की गई, और आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग तथा कलेक्टर आफ स्टाम्प एवं जिला पंजीयक, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश निरस्त किये गये हैं। उक्त आदेश दिनांक 8-11-2012 में लिपिकीय त्रुटि के कारण आदेश के अंतिम पैरा क्रमांक 5 में उप पंजीयक द्वारा निर्धारित मूल्य मान्य करने का उल्लेख हो गया है, जबकि आवेदक की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार होने के फलस्वरूप आयुक्त, जिला पंजीयक एवं कलेक्टर आफ स्टाम्प के आदेश निरस्त होने के फलस्वरूप उप पंजीयक का आदेश भी अमान्य किया जाना मुद्रित होना था।</p> <p>(2) इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 8-11-2012 की अंतिम कंडिका क्रमांक 5 की अंतिम लाईन में आये शब्द “मान्य” को विलोपित कर उसके स्थान पर “अमान्य” शब्द संस्थापित किया जाकर पढ़ा जावे, जिससे इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 8-11-2012 का प्रभाव पूर्ण तरीके से पालन होकर</p>	

कियान्वयन हो सके ।

2/ कलेक्टर आफ स्टाम्प के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि कलेक्टर आफ स्टाम्प के समक्ष उप पंजीयक द्वारा प्रश्नाधीन संपत्ति का बाजार मूल्य निर्धारित कर कलेक्टर आफ स्टाम्प को प्रस्तावित किया गया । कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा उप पंजीयक द्वारा प्रस्तावित बाजार मूल्य को मान्य किया गया । इस न्यायालय द्वारा दिनांक ८-११-२०१२ को आदेश पारित कर कलेक्टर आफ स्टाम्प एवं आयुक्त के आदेश निरस्त किए जाकर अपील स्वीकार की गई । अतः उप पंजीयक द्वारा निर्धारित मूल्य मान्य करने का आदेश में उल्लेख किया जाना विरोधाभास है, क्योंकि कलेक्टर आफ स्टाम्प एवं आयुक्त के आदेश निरस्त होने से उप पंजीयक द्वारा निर्धारित बाजार मूल्य भी अमान्य किए जाने योग्य है । अतः इस न्यायालय के आदेश दिनांक ८-११-२०१२ के अंतिम पैराग्राफ ५ में उल्लिखित उप पंजीयक द्वारा निर्धारित मूल्य मान्य किया जाता है, को विलोपित कर उसके स्थान पर उप पंजीयक द्वारा निर्धारित मूल्य अमान्य किया जाता है, स्थापित किया जाता है, तदनुसार पढ़ा जाये । यह आदेश मूल आदेश का अंग होगा ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष